बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: **संकल्प** ::

पटना–15 दिनांक..................................

श्री सुरेश पासवान, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–442/11) विशेष सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष–2013–14 एवं इसके पूर्व के वर्षो में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताओं के लिए धारा–406/409/420/467/468/471/477(ए)/120(बी०) भा०द०वि० एवं धारा–13(2) सह पठित धारा–13 (1) (सी) (डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 के तहत निगरानी थाना कांड सं०–127/16, दिनांक 29.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के पत्रांक–2756, दिनांक 06.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री पासवान का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/नि०था०–11–02/2016,सा०प्र०,........................../पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–08/नि०था०–11–02/2016,सा०प्र०, 531 **/पटना, दिनांक** 16-1-17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/श्री सुरेश पासवान, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–442/11) विशेष सचिव, अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, 12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/1/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।